कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक– 601 /24 एल0ए0 दिनांक– 05 –05–2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय – जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत निजमुला मोटर मार्ग से गोनाा भनाली तक मोटर मार्ग के निर्माण के निर्माण हेतु 1.855 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पंत्राक 388(1)/X-4-16/1(54)/2016 दिनांक 26.05.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषय वर्णित मोटर मार्ग हेतु संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पंत्राक 388(1)/X-4-16/1(54)/2016 दिनांक 26.05.20 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गयी शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है :–

विन्दु सं॰	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले में 3.71 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतनदरों को समाहित करने यथासंशोधित) जमा की जायेगी उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले में 3.71 हे0 सिविल भूमि सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरों पर रू0 8,54,421.00 (आठ लाख चव्वन हजार चार सौ इक्कीस) की धनराशि ऑन–लाईन के माध्यम से जमा की जा चुकी है तथा उक्त सिविल का वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है। संलग्न अमलदरामद की प्रति एवं चालान की छाया प्रति। न0 1 से 4 तक
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 4,90,000.00 (चार लाख नव्वे हजार) ऑन–लाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी ह।।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रू0 12,18,735.00 (बारह लाख अठ्ठारह हजार

		सात सौ पैतीस) की धनराशि ऑन–लाईन के माध्यम से जमा की चुकी है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रमाण संलग्न 5 न0
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ की धनराशि का आक्कलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैक में ऑन लाईन प्रकिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्युटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा। जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलगकों सहित ऑन लाईन अपलोड कर करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन–लाईन/हार्ड कापी प्रेषित किया जायेगा।	शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ की धनराशि का आक्कलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन सत्यापित के उपरान्त ऑन–लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान द्वारा जमा कर दिया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। पेज नं0 - 6
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की दशा में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	निर्धारित शर्त का अनुपालन मान्य है।
8	प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 मे निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/ प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिर्वाय होगा।	वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न पेज नं0 - 7 से 9 तक
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्त शर्त संख्या से तक अनुपालन कर लिया गया है।

संलग्न – 4 प्रतियों में

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
भुवनेश्वर।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-08-2016

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	ROAD107432015648
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
Amount(in Rs)	2563156/-

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Sixty-Three Thousand One Hundred and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD107432015648
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

2233

सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

सी गौणा
के सापेक्ष
के पक्ष में
लय द्वारा

प्रस्तावित
तक मोटर
ारोपण के
त खसरा
। 3.710है0
ो स्वीकृति
2012 के

त।
गर

ादुन।

— आदेश —

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत निजमुला मोटर मार्ग से गौणा भनाली तक मोटर मार्ग के निमार्ण से प्रभावित होने वाली 1.855 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 3.710 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप जिलाधिकारी चमोली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत निजमुला मोटर मार्ग से गौणा भनाली तक मोटर मार्ग के निमार्ण से प्रभावित होने वाली 1.855 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम गौणा प0वृ0 गौंणा तहसील चमोली की सीमान्तर्गत चिन्हित खसरा सं0–3505 है0 मध्ये 2.060 है0 एवं खसरा सं0–3506 है0 मध्ये 1.650 है0 अर्थात कुल 3.710है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II) /2012–18 (120) /2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(विनोद कुमार सुमन),
जिलाधिकारी,
चमोली।

15/12/16

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 1093/छब्बीस– 9 (2016–2017) गोपेश्वरः दिनांकः 10 दिसम्बर 2016

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5058 1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर
932 A फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
17-12-16 2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।

सत्यापित

08/12/16
जिलाधिकारी
चमोली

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

NZA खतौनी छायाप्रति राजस्व ग्राम - जोशा,
रा०ब०नि० क्षेत्र - गोल्य, तहसील व जिला - चमोली,

(I)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24	पाखा	-	90	43	1.063		(28)
			98	30	0.601		
			68८	6111	0.155		
			3890	411	0.095		
			3820	91	0.025		
		योग	5	86111			
25	बगड़	-	302	351	0.706		(30)
			4948x म०	351=	0.708		
			4989	95	0.301		
			4976	91=	0.029		
			4985	111	0015		
			4८०4	211=	0053		
		योग	6	801=			
26	पल्यर	-	63८	=	0.003		(29)
			2696	1=	0.008		
			390८	111	0015		
			3638	11	0010		
			4089	211=	0058		
		योग	5	411=			

(II)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	रोखड़	-	9	99	0.221		(32)
			3	99011	2.216		25
			3492	32=	0.645		
			3496	28	0.581		
			349x	46	0921		
			3496	501=	1.016		
			348७	361=	0695		30
			348३	93111	0.276		
			4९९२	225॥	4.572		
			4220	903111	3.484		
		योग	90	638111=			
							35
28	चट्टान	-	6	970	3.009		(33)
			5	521	1.053		
			8	621	(1.294) 1.253		
			8	681=	1.933		
			8७	421	0.846		
			960	2961	4.298		
			969	621=	1.256		
			962	9091=	3.443		
			963	638111=	1.581		

खतौनी की छायाप्रति राजस्व ग्राम चमोली के आदेश सं 2885/ इकाई 07 (2011-12) दिनांक 31 जनवरी 2012 के अनुसार एवं शासनादेश सं0 283/01/X-3-2011 8 (21)/2016 दिनांक 04 अक्टूबर 2011 के पश्चात शासनादेश सं0 2882/XVIII(3)/11-18(1207) 2010 दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के क्रम में खसरा सं0 17 कुल 3.000 हेक्टेयर (17 अंकित) 0.050 हेक्टेयर खसरा सं0 3

जी० एस० यू० पी० (आर० ई०) 099 रा० परि०/723—8-3-90—प्रपत्र सं० प-11—24,388।

पी०एस०टी०पी० (आर०ई०) 099 प्र० परि०/723—8-3-00—प्रथम 00 प्रतियां—11—24,586।

फार्म (प) 11 उत्तर प्रदेश

(III)

1	2	3	4	5	6	7	8
	चदयन -यथावर्ती-		9789	2611	0.551		
			9782	22॥	0.511		
			9786	32॥।	1.860		
			2966	909॥।	2.041		
			2967	94॥	3.039		
			2968	928॥	3.099		
			2969	968॥=	3.304		
			2972	928॥	3.139		
			2976	909	2.028		
			2978	928॥	2.576		
			2369	268॥।	5.311		
			2869	268॥=	4.946		
			2862	328=	7.666		
			2863	62	1.304		
			2868	391॥=	0.640		
			2866	232	4.774		
			3302	98=	0.284		
			3385	98	0.381		
			3623	391॥	0.631		
			3883	992	2.247		
			3500	968	3.170		
			3509	831॥=	0.875		

(IV)

1	2	3	4	5	6
	चयन		3502	208॥=	4.211
	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के आदेश सं० 1093/दस्ती-9 (2016-2017) गोपेश्वर: दिनांक 10 दिसम्बर 2016 के क्रम में ख० नं० 3505 मद्धे 0.060 है० एवं ख० नं० 3506 मद्धे 1.650 है० कुल 3.710 है० भूमि नित्रमूल मोटर मार्ग से गोणा मनोली तक मोटर मार्ग के अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नागालण्ड/हस्तान्तरण किये जाने की सहमति आख्या के 2178/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान किये जाने के फलस्वरूप वन विभाग के नाम अभिलेखागत किया।	3506	9502	5.019
			3507	902	2.066
			3506	922॥=	2.465
			3496म०	98८॥	2.978
			4229	20	1.053
			4267	969॥=	3.243
			4700	62॥	1.274
			4709	39॥=	0.635
		योग	40	4105॥=	
		योग श्रेणी 9(ख)-ट 2		2632॥=	
	19/12/2017 राजस्व निरीक्षक गोणा				
	सम्पूर्ण योग		9267॥=		

05.05.2022
राजस्व उप निरीक्षक
पटवारी वृत गोणा
तहसील चमोली
जिला चमोली

तैयारकर्ता
पटवारी गोणा

1	2	3	4	5	6
					2632.500 है० भूमि विभिन्न वृक्षारोपण जल विद्युत परियोजना टी०एच०डी०सी०एल० जिला हेतु स्थानान्तरित ख० संख्या हेतु दिनांक 9-12-2017 को नाप अमल किया।

पटवारी गोणा
07/02/2012

उ० प्रबन्धक के में अवगत कराया।
(गोपाल सिंह)
उ०-कार्य
U.P.S.L.

एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में निजमूला-पाणा मोटर मार्ग से गौंणा-भनाली तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत निजमला-पाणा मोटर मार्ग से गौंणा-भनाली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में बृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप बढ़ी हुई एन0पी0वी0 धनराशि का भुगतान वनविभाग को किया जायेगा।

सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में निजमूला-पाणा मोटर मार्ग से गौंणा-भनाली तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत निजमला-पाणा मोटर मार्ग से गौंणा-भनाली तक मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

7

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 28.02.15

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.855 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Gauna-Bhanali link motor road from Nizmula motor road and 90 mtr span steel girder motor bridge, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 4.00 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.855 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

Signature

(Ashok Kumar)
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
चमोली

DM FRA Letter

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 28-02-2015 at time 17.00 hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 1.855 hect for the construction of Construction of Gauna-Bhanali link motor road from Nizmula motor road and 90 mtr span steel girder motor bridge, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 4.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 28.02.2015

सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

Signature

(Ashok Kumar)
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
चमोली

प्रपत्र 232

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत निजमुला मोटर मार्ग से गौणा–भनाली तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड़ स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड़ चमोली के अन्तर्गत निजमुला मोटर मार्ग से गौणा–भनाली तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.855 हे॰ सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड़ स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि॰ 20.02.2015को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा॰ सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननुसार हैः–

1– श्री अवधेश कुमार सिंह उपजिलाधिकारी चमोली (सब)अध्यक्ष
2– श्री शिवानन्द डुमग उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3– श्री आर. एल. रवनेड़ा सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव
4– श्री शिवराज सिंह बर्त्वाल बी.डी.सी. क्षेत्र गौणा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि निजमुला मोटर मार्ग से गौणा–भनाली तक लिंक मोटर मार्ग हेतु 1.855 हे॰ वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा॰ सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा॰ सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर (सदस्य)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

शिवराज सिंह
बी.डी.सी. क्षेत्र
सदस्य

Photo Copy AH.

सहायक

सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

प्रपत्र –23.1

दि. 18.02.2015 को ग्राम सभा ...गौणा... की बैठक सम्पन्न हुई

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्र०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जसवन्त सिंह बिष्ट S/o प्रीतम सिंह बिष्ट	[illegible]
2	भुवान सिंह बिष्ट S/o बलम सिंह बिष्ट	[illegible]
3	श्री सुभान सिंह S/o स्व० किशन सिंह बिष्ट	[illegible]
4	श्री शिवराज सिंह S/o स्व० आलम सिंह बर्त्वाल	[illegible]
5	श्री गोपाल सिंह S/o स्व० चन्द्र सिंह बर्त्वाल	[illegible]
6	श्री विरेन्द्र लाल S/o स्व० आलमी लाल	[illegible]
7	श्री दुलप लाल S/o स्व० दिवानू लाल	[illegible]
8	श्री राम लाल S/o स्व० थुलदी राम	[illegible]
9	श्री आलमी लाल S/o स्व० आशीष लाल	[illegible]
10	श्री दिवान सिंह S/o स्व० दयाल सिंह रावत	[illegible]
11	श्री दयाल सिंह S/o स्व० बकतावर सिंह रावत	H S Rawat
12	श्री भूपाल सिंह S/o स्व० सुलान सिंह कठैत	[illegible]
13	श्री रघुवीर सिंह S/o स्व० नारायण सिंह बिष्ट	[illegible]
14	श्री खिलाप सिंह S/o स्व० आलम सिंह बर्त्वाल	[illegible]
15	श्री राजे सिंह S/o स्व० गंगाचन्द कठैत	[illegible]
16	श्री कुवर सिंह S/o स्व० दुलप सिंह कठैत	[illegible]
17	श्री राजेन्द्र सिंह S/o स्व० बकतावर सिंह रावत	[illegible]
18	श्री जसपाल सिंह S/o स्व० मोहन सिंह पवार	[illegible]
19	श्री आनन्द लाल S/o स्व० नोरत्न लाल	[illegible]
20	श्रीमती मन्जू देवी w/o श्री पवित्र सिंह रावत	मन्जू देवी
21	श्री गोविन्द सिंह S/o श्री [illegible] सिंह रावत	गोविन्द सिंह

Photo copy AH.

प्रधान ग्राम पंचायत गौणा
हस्ता० ..... ग्राम प्रधान
दिनांक .....
सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर